

एक नजर में

जनसुनवाई में प्रशासनिक अधिकारियों ने तत्परता से सुनी 69 आवेदकों की समस्याएं



मंदसौर। जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर एकता जायसवाल सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने 69 आवेदकों की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई में सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि आम नागरिकों की समस्याओं का समय पर समाधान किया जाए एवं कोई भी व्यक्ति अनावश्यक परेशान न हो। जनसुनवाई के दौरान आप विभिन्न प्रकरणों में त्वरित निर्देश जारी किए गए। कोटड़ा बुजुर्ग निवासी भेरुलाल ने खडवय की भूमि का कब्जा दिलवाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार गरोठ को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जवासिया निवासी शंभुमसुंदर ने कृषि भूमि को सार्वजनिक रूप से निलाम करने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार देवीदा को जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। शबोद निवासी रामनारायण ने कृषि भूमि व कुए पर जमा हो रहे गंदे पानी के निदान के संबंध में आवेदन दिया। जिस पर एसडीएम मलू हंसराज को जांच कर आवश्यक जानकारी तत्काल प्रदान करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त जनसुनवाई में पीएम आवास योजना का लाभ दिलवाने, मंदिर की भूमि का सिमाना करवाने, पेशन राशि का भुगतान करवाने, अतिक्रमण हटवाने, कृषि भूमि पर आने जाने का रास्ता खुलवाने एवं शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त करने जैसे विविध प्रकार के आवेदन प्राप्त हुए। नारायणगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 किलो डोडाचूरा सहित तस्कर गिरफ्तार



मंदसौर। नारायणगढ़ पुलिस ने अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भारी मात्रा में डोडाचूरा जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेर सिंह बघेल एवं एडडीओपी मल्हारगढ़ श्रीमती कीर्ति बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रितेश डामोर के नेतृत्व में यह कार्रवाई 7 अप्रैल 2026 को की गई। मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने नारायणगढ़-पिपलिया मंडी रोड स्थित बरखेड़ा वीरपुरिया फंटा के पास सगास बावजी मंदिर के समीप एक आइशर वाहन को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन से 42 किलो में भरा कुल 10 किलो 2 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा, जिसकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपये है, जब्त किया गया। पुलिस ने मौके से आरोपी ट्टा सिंह (28) निवासी जिला मोगा, पंजाब को गिरफ्तार किया। साथ ही एक आइशर वाहन (कीमत लगभग 15 लाख रुपये) एवं एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। इस संबंध में थाना नारायणगढ़ में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15, 29 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कार्रवाई में नारायणगढ़ थाना पुलिस की सहायनीय भूमिका रही।

अनुभवी शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर शिक्षक संघ ने सांसद को सौंपा ज्ञापन

मंदसौर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता को लेकर 1 सितंबर 2025 को आए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद देशभर के लाखों शिक्षकों के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसी गंभीर मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर से मुलाकात कर उन्हें विस्तृत ज्ञापन सौंपा।



जिलाध्यक्ष विक्रम शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय के इस निर्णय से मध्य प्रदेश के लगभग 70 हजार तथा देशभर के करीब 25 लाख शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं। संघ को प्रमुख आपत्ति यह है कि शिक्षकों की अनिवार्यता उन शिक्षकों पर भी लागू की जा रही है, जिनकी नियुक्ति वर्ष 2010 में क्लबिंग लागू होने से पूर्व हो चुकी थी। शिक्षक संघ ने सांसद के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग की है कि इस विषय में हस्तक्षेप करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की जाए अथवा

आवश्यकता पड़ने पर संसद में विधायी संशोधन किया जाए। संघ का तर्क है कि वर्षों से सेवा दे रहे अनुभवी शिक्षकों के लिए इस आयु में पात्रता परीक्षा देना व्यवहारिक नहीं है, इसलिए इस नियम को केवल भविष्य के लिए लागू किया जाना चाहिए, जिससे वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों की सेवा सुरक्षित रह सके।

ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रांतीय सह मीडिया प्रभारी रामचंद्र लोहार, सर्वभोगीय अध्यक्ष शंकरलाल अर्जना, जिलाध्यक्ष विक्रम शर्मा, जिला

कोषाध्यक्ष कालीलाल राठौर, जिला उपाध्यक्ष रतनलाल चौहान, मनीष बेरागी, श्रीमती कविता सोनी, जिला कार्यकारिणी सदस्य गणपतलाल राठौर, ब्लॉक सह संगठन मंत्री जितेंद्र सिंह राणा, ब्लॉक अध्यक्ष रघुवीर सिंह सिसोदिया, तहसील अध्यक्ष शिवनारायण मंडवारिया, नगर उपाध्यक्ष लोकेन्द्र सिंह देवड़ा सहित शिक्षक प्रतिनिधि अनिल पुरोहित, जितेंद्र सिंह सिसोदिया, सुरेंद्र गुप्ता एवं कौशिक उपस्थित रहे।

एक नजर

नेहरू बस स्टैंड का जर्जर बगीचा और यात्री प्रतीक्षालय बना उपेक्षा का उदाहरण

उजड़े चमन में कब आएगी बहार, नगरवासी कर रहे कब से इंतजार

मंदसौर। लेखक और सामाजिक चिंतक असद अंसारी ने नगर पालिका परिषद मंदसौर से मांग की है कि मंदसौर नगर के बीचों बीच स्थित नेहरू बस स्टैंड के बगीचे का नागरिकों एवं यात्रियों को सुविधाओं हेतु पुनरुद्धार किया जाए।



अंसारी ने कहा कि नेहरू पार्क में नेहरू जी की मूर्ति के सिवा सब कुछ उजड़ चुका है और वह पशुओं का विश्रामगृह बन चुका है। नेहरू पार्क का तुरन्त पुनरुद्धार किया जाए। उन्होंने यह आशंका व्यक्त की है कि इस बगीचे को उजाड़ने के पीछे नगरपालिका पदाधिकारियों की कोई दीर्घकालिक योजना तो नहीं है इस स्थान को 5 सितारा होटल या और किसी प्रोजेक्ट में परिवर्तित कर दिया जाए।



अंसारी ने यह भी कहा कि बस पालिका को मिल जाता। वहीं बस स्टैंड स्थित यात्रियों के बैठने के लिए पिलर के आसपास जो कुर्सियां नुमा आकृति बनाई गई थी उसकी लकड़ियों को भी लोग निकाल कर ले जा चुके हैं नगरपालिका जिसका

500 करोड़ का बजट है क्या उन कुर्सियों को मरम्मत भी नहीं करवा सकती। उन्होंने नगरपालिका प्रशासन और जिलाधीश से मांग की है कि इस ओर ध्यान दे कर तत्काल कार्रवाई की जाए।

नीमच

एक नजर में

डिप्टी कलेक्टर धार्वे और भयडिया ने की जनसुनवाई



नीमच। कलेक्टर सभाकक्ष नीमच में मंगलवार को जनसुनवाई में डिप्टी कलेक्टर चंद्रसिंह धार्वे और श्रुति भयडिया ने 99 आवेदकों की समस्याएं सुनीं और उनका निराकरण करने के निर्देश संबंधित जिला अधिकारियों को दिए। जनसुनवाई में सरवानिया महाराज के अकील मंसूरी, बराडा के प्रभुदास बेरागी, कड़ी आंजी के गोपाल गुर्जर, मनासा के विजय नारायण, सुवाखेडा की कलाबाई, नई आबादी दारु के दिलीप पुरोहित, कंजाडी के मोहनलाल, मल्हारगढ़ के ज्ञानेश प्रजापति, दुर्गापुरा की बदामीबाई बजारा, जुना बाजार नीमच सिटी के जावेद खान, नीमच केंद्र के लोकेश जोहरी, दारु के गोविंद दास ने भी अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। इसी तरह दारु के नंदलाल, हुडको कॉलोनी मनासा की भगवतीबाई, बरखेडा के लालाराम, लसुडिया की जीवन बाता, अल्हेड की हिवाबाई, दूंगलावदा के कंक प्रकाश गुर्जर, सरवानिया महाराज के महेश सोनी, जन्नाद की नारायणी बाई, हरवार के रामनिवास, चेनपुरा की अनाकुवर, अम्बेडकर कॉलोनी नीमच की गुड्डी बी, गणपति नगर नीमच के चुनीलाल भाली, सुरेश चांवाला, बगीचा नं. 4 नीमच की फरीन, सेमली नंददास की बाबुकुवर, सरवानिया महाराज के राजकुमार, धानका मोहल्ला नीमच केंद्र के मदनसिंह, सेमाडी के राहुल, कनावटी के केशुराम, तलाऊ के रामलाल, सेमली नंददास के मंगलसिंह, गांधी नगर जीरन की खुशबू, रामपुरा के राहुल चम्पी के बद्रीलाल आदि ने भी अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन जनसुनवाई में प्रस्तुत किए।



कचौली में विधिक जागरूकता शिविर

नीमच। विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं नालसा के दिशा-निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में मंगलवार को मनासा तहसील के गांव कचौली में 'लीगल एड विलिनक' आयोजित किया गया। प्रायः माह के प्रथम मंगलवार को यह सेवा ग्रामीणों के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहती है। लीगल सर्विस विलिनक में पैरालीमल वॉलंटियर श्री कमलाशंकर विश्वकर्मा ने सेवाएं प्रदान कर आम जन को प्राधिकरण की योजनाओं से अवगत कराया तथा नालसा, सालसा एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान के बारे में जानकारी दी। साथ ही माध्यमिक विद्यालय कचौली में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। जिसमें बच्चों को गुड टच, बैड टच, बाल अधिकार, मूल संवैधानिक कर्तव्य एवं निःशुल्क कानूनी सहायता स्क्रीम की जानकारी दी गई। इस अवसर पर स्कूल प्राचार्य श्री मयंक माहेश्वरी, प्रधानाचार्य सुशी अर्चना वेद, शिक्षकगण एवं बालक बालिकाएं उपस्थित थे।

वैश्विक शांति के लिए अहिंसा के मार्ग पर चलना जरूरी : बिरला

► जैन संतों के जीवन, तप, तपस्या से समाज को सद्गुणमय मिलती है- लोकसभा अध्यक्ष

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सिंगोली के पंच कल्याणक महोत्सव में शामिल हुए

लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने किया वैराग्य वाटिका एवं आयुर्वेद सूत्रकर्म पुस्तक का विमोचन



नीमच। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को नीमच जिले के सिंगोली में सकल जैन समाज द्वारा आयोजित पंच कल्याणक महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होकर योग प्रेरक श्री 108 मुनिश्री प्रणम्य सागर महाराज को श्रीफल भेंटकर उनका आशीर्वाद लिया।

पराग जैन व अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में जैन समाज के पुरुष एवं महिलाएं उपस्थित थीं। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने मुनिश्री प्रणम्य सागर महाराज की पुस्तक 'आयुर्वेद सूत्रकर्म' एवं वैराग्य वाटिका का विमोचन किया और मुनिश्री को पुस्तक की प्रति भेंट की।

इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने उद्बोधन में कहा, कि आचार्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने योग का अहम संदेश दिया है। उन्होंने जीवन शैली में बदलाव कर

स्वस्थ एवं सुखी रहने का आध्यात्मिक मार्ग बताया है। आचार्य मुनिश्री जहां से भी गुजरते हैं, वहां आध्यात्मिक मार्ग का लाभ लोगों को मिल रहा है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। उन्होंने कहा, कि वैश्विक, शांति के लिए अहिंसा के मार्ग पर चलना जरूरी है। जैन संतों के जीवन, तप, तपस्या से समाजजनों को सद्गुणमय मिलती है। कार्यक्रम को सांसद श्री सुधीर गुप्ता एवं विधायक श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने भी संबोधित किया। आयोजन समिति की ओर से

अतिथियों का स्वागत अभिनन्दन किया गया और उन्हें स्मृति चिह्न भेंट किए गए।



जैन कॉलोनी में चली नपा की जेसीबी

नीमच। नगर पालिका परिषद नीमच के वार्ड क्रमांक 25 स्थित जैन कॉलोनी की आखिरी गली में शासकीय भूमि पर करीब 10 मकान मालिकों ने रास्ते में पक्के निर्माण कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया था। शिकायत पर नगर पालिका नीमच ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती दुर्गा बामनिया के नेतृत्व में मंगलवार को सुबह 10:00 बजे जेसीबी व अन्य संसाधनों के साथ अतिक्रमण हटाओ मुहिम प्रारंभ कर अतिक्रमण हटाया और आवागमन सुचारु किया। विदित हो कि नगर पालिका द्वारा पूर्व में उपरोक्त सभ्य भवन स्वामियों को अतिक्रमण हटाने हेतु तीन-तीन बार नोटिस दिए जा चुके थे किन्तु उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं

हटाया जा रहा था। उपरोक्त स्थिति के चलते नगर पालिका परिषद नीमच का अमला मंगलवार को सुबह करीब 10:00 बजे जेसीबी व अन्य संसाधनों के साथ जैन कॉलोनी पहुंचा। राजस्व विभाग के टेकचंद बुनकर, श्री महावीर जैन, लोक निर्माण विभाग के श्री हेमंत सिसोदिया, श्री रवि भंडारी, श्री चिरायू चांदा, श्री राम सिंह आदि कर्मचारियों के साथ पहुंचे और पहले सभी को स्वयं के द्वारा अपना अतिक्रमण हटाने को कहा। अनेक अतिक्रमणकर्ताओं ने स्वयं का अतिक्रमण हटा लिया किन्तु जिन्होंने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया उनका अतिक्रमण नगर पालिका ने अपने संसाधनों व कर्मचारियों के माध्यम से हटाया।

एक नजर

भाजपा बूथ अध्यक्ष का घर और खाटूश्याम मंदिर तोड़ने पर ज्ञापन सौंपा

राजपूत-ब्राह्मण समाज ने किया नीमच कलेक्टर के घेराव

नीमच। जिले के जावद तहसील के ग्राम कास्थ्या में भाजपा बूथ अध्यक्ष सचिन पाराशर के घर और खाटूश्याम मंदिर को तोड़ने के नोटिस के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। मंगलवार को राजपूत और ब्राह्मण समाज के लोगों ने कलेक्टर का घेराव किया और नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर इस कार्रवाई को तुरंत रोकने की मांग की।



ज्ञापन में बताया गया कि सचिन पाराशर का परिवार पिछले 70 वर्षों से सर्वे नंबर 11 की सरकारी जमीन पर रह रहा है। इसी जगह पर उनके साथ

करीब 50 और परिवार भी बसे हुए हैं। समाज का आरोप है कि जावद प्रशासन ने बिना किसी ठोस सुनवाई के सिर्फ सचिन पाराशर को ही घर खाली करने का नोटिस थमाया है, जो कि सरासर भेदभाव है। समाज के लोगों ने तर्क दिया कि इसी मकान पर पहले शासन की योजना के तहत शौचालय बनाने के लिए पैसा (अनुदान) दिया गया था। उनका कहना है कि यह कार्रवाई किसी साजिश या आपसी रंजिश के तहत की जा रही है। अगर यह जमीन अतिक्रमण में आती है,

तो फिर पूरे गांव के मकानों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ एक गरीब परिवार को निशाना बनाना गलत है। ज्ञापन के जरिए मांग की गई है कि इस गलत कार्रवाई को तुरंत बंद किया जाए। समाज ने प्रशासन को जिला चैतावनी दी है कि अगर मकान गिराया गया, तो पीड़ित परिवार को मुआवजा और नई जगह का पट्टा दिया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो आने वाले समय में जिले भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।